कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

कुख्यात अपराधी एवं तस्कर राजू ईराम गिरफ्तार

जयपुर 27 अप्रेल। जोधपुर रेंज, जोधपुर में गुरूवार को अवैध शराब तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के रोकथाम एवं कुख्यात अपराधियों व तस्करों की धरपकड़ के लिए गठित विशेष टीम एवं पाली पुलिस ने कुख्यात तस्कर राजूराम ईराम निवासी कूकावास, जिला जालोर को गिरफ्तार किया गया।

महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज, जोधपुर, श्री हवासिंह घुमरिया ने बताया कि विशेष दल का नेतृत्व कर रहे श्री रामनिवास विश्नोई थानाधिकारी, सिणधरी बाड़मेर तथा श्री पन्नाराम सहायक उप निरीक्षक जिला बाड़मेर ने श्री देरावरसिंह सोढा, थानाधिकारी पुलिस थाना सदर थाना पाली, श्री कमलसिंह स.उ.नि. मय जाब्ता के साथ मिलकर विशेष रणनीति के तहत जोधपुर–उदयपुर हाईवे पर आज गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के कब्जे से एक फोर्च्यूनर गाड़ी, 2.00 लाख रूपये तथा एक अवैध रिवॉल्वर मिली है।

श्री हवासिंह घुमरिया ने बताया कि कुख्यात अपराधी राजूराम ईराम के विरूद्ध विभिन्न जिलों में आबकारी अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, कॉपिराईट एक्ट तथा भारतीय दण्ड संहिता की हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण इत्यादि जैसे गम्भीर अपराधों से सम्बन्धित कुल 28 प्रकरण दर्ज है। इन प्रकरणों में से 7 प्रकरणों में अभी भी वांछित है। जोधपुर आयुक्तालय पुलिस तथा जोधपुर रेंज की पुलिस को इसकी पिछले काफी महीनों से तलाश थी और इसकी गिरफ्तारी के लिए विभिन्न दलों का गठन किया गया था। यह अत्यन्त शातिर होने के कारण कई बार पुलिस को चकमा देकर भाग गया।

श्री घुमरिया ने बताया कि पुलिस आयुक्तालय में 2016 में गिरफ्तार की गई तस्कर सुमता विश्नोई का मुख्य सहयोगी है। जोधपुर आयुक्तालय के विभिन्न थानों के 3 प्रकरणों में वांछित चल रहा है। इसके अतिरिक्त जोधपुर ग्रामीण के बालेसर व ओसियां तथा बाड़मेर के कल्याणपुर थाने में अवैध शराब से भरे ट्रकों की तस्करी के मामले में वांछित चल रहा है। उदयपुर शहर के सुखेर पुलिस थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 में हुए पूनम विश्नोई के प्रेमी देवेन्द्र विश्नोई के चर्चित हत्याकाण्ड में भी राजूराम वांछित है।

उन्होंने बताया कि राजूराम जालोर जिले के बागोड़ा थाने का हिस्ट्रीशीटर तथा हार्डकोर अपराधी है जो संगठित गिरोह के साथ मिलकर हरियाणा व पंजाब से ट्रक भरकर अवैध शराब की तस्करी गुजरात में करता है। इसके अलावा मध्यप्रदेश से डोडा पोस्त एवं अफीम की तस्करी भी बड़े पैमाने पर करता है। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि राजू राम दुबई से सोने की तस्करी में भी लिप्त रहा है।

श्री हवासिंह ने बताया कि पुलिस थाना साचोर में 2016 में एक व्यापारी का अपहरण कर 70 लाख की फिरौती लेने वाला प्रकाश गोदारा निवासी चितलवाना अवैध धन्धों में इसका पार्टनर है।

मुलजिम को पुलिस थाना सदर में आर्म्स एक्ट के प्रकरण में गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है जिससे इसके आपराधिक नेटवर्क तथा आपराधिक गतिविधियों के बारे में और जानकारियॉ मिलने के सम्भावना है।

राही/सन्तरा/340/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट **www.police.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

2000 रूपये का ईनामी हत्या का आरोपी गिरफ्तार

जयपुर 27 अप्रेल। थाना हिण्डौन सिटी में जिले में मुकदमों में फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत 26 अप्रेल,2017 को थाना हिण्डौन सिटीद्वारा कार्यवाही करते हुए एक हत्या के अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हांसिल की है।

पुलिस अधीक्षक करौली, श्री अनिल कयाल ने बताया कि 18 मार्च,2015 को जयप्रकाश पुत्र गोरे गुर्जर निवासी देवलेन थाना बालघाट जिला करौली ने थाना कोतवाली हिण्डौन सिटी पर दर्ज कराया की 17 मार्च.2015 को मेरी स्वयं की कमाण्डर जीप को चालक भूपेश जाट निवासी चुरारी ने ब्रह्मबाद (भरतपुर) मेले में बुक करके ले जाना बताया तथा शाम तक घर वापस आने को कहा। वर्तमान में मेरे चालक भूपेश का फोन बन्द आ रहा है, मुझे अन्देशा है कि मेरी जीप के चालक भूपेश का जीप सहित बुकिंग पर ले जाने वालों ने अपहरण कर लिया है आदि पर मु0न0 207/15 धारा 364 आईपीसी में कायम कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

श्री अनिल कयाल ने बताया कि अनुसंधान जयप्रकाश की जीप के चालक भूपेश का कंकाल ज्ञानी का बेडा के जंगल ईलाका थाना बयाना में मिला तथा जीप को बरामद किया जाकर इस बारदात में आरोपी औतारी उर्फ रामऔतार गर्जर निवासी कंजौली थाना बालघाट को पूर्व में ही गिरफ्तार कर बारदात का खुलासा किया गया। इसके बाद 26 अप्रेल,2017 को बारदात में शामिल दूसरे बदमाश मदन उर्फ पालू पुत्र हरिसिंह जाति गुर्जर निवासी रोंडकला थाना सदर करौली को शिवकुमार भारद्वाज पु0नि0 थानाधिकारी हिण्डौनसिटी ने गिरफ्तार कर लिया। उक्त अभियुक्त मदन उर्फ पालू की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक करौली की तरफ से 2000 रूपये का ईनाम घोषित कर रखा था।

राही/सन्तरा/341/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट **www.police.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

हत्या के मामले में दो महिलाओ सहित पॉच गिरफतार

जयपुर 27 अप्रेल। जालोर कोतवाली थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के ऐलाना गॉव में दस दिन पूर्व हत्या कर सबूत नश्ट करने के आशय से शव को जमीन में गाढने के मामले में मृतक के ससुराल पक्ष के पॉच लोगो को आज अनुसंधान के बाद गिरफतार किया है।

जिला पुलिस अधीक्षक जालोर श्री कल्याणमल मीना ने बताया किऐलाना निवासी मृतक हंजाराम पुत्र मादाराम जाति चौधरी के भाई कस्तुराराम ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी थी की उसका छोटा भाई हंजाराम को 13 अप्रेल,2017 उसके ससुर तेजाराम ने उसके घर बुलाया थाना उसके बाद से वह अपने घर वापस नही लौटा तब उन्होंने तेजाराम व उसके भाई मांगीलाल व रिश्तेदार वेनाराम से हंजाराम के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई सन्तोशप्रद जवाब नही दिया तथा उसी दिन मृतक के रिश्तेदार कानाराम ने उक्त व्यक्तियों द्वारा हंजाराम के साथ उसके बेरे पर मारपीट करते हुऐ देखा था उन्होने कानाराम को भी मुॅह बन्द रखने की धमकी दी थी तथा कस्तुराराम ने अपने भाई हंजाराम को उसके ससुर तेजाराम, काका ससुर मांगीलाल, वेनाराम व पत्नि सुआदेवी व सास सायति देवी पर मारने का शक जाहिर कर रिपोर्ट दी थी। पुलिस अनुसंधान के दौरान कल दिनांक 26.4.2017 को मृतक हंजाराम का शव मुलजिमान के खेत के पास से अभियुक्त मांगीलाल की निशानदेही पर जमीन में गाढा हुआ बरामद किया गया था। पुलिस आज अनुसंधान के दौरान उक्त घटना में शामिल तेजाराम, मांगीलाल, वेनाराम, श्रीमति सुआदेवी व सायति देवी को गिरफतार किया है।

श्री कल्याणमल मीना ने बताया कि ऐलाना निवासी अभियुक्त तेजाराम की पुत्री सुआदेवी की शादी ऐलाना निवासी ही हंजाराम के साथ करीब तीन वर्श पूर्व हुई थी हंजाराम स्वभाव से भोला व सीधा था इस कारण उसकी पत्नि सुआदेवी तथा उसके ससुराल पक्ष को शुरू से ही पसन्द नही था तथा उसको हमेशा के लिए हटाने के लिए ससुराल पक्ष न षडयंत्र पूर्वक अपने बेरे पर बुलाकर उसके साथ मारपीट कर साक्ष्य छुपाने के लिए पहले तो उसके शव को खेत के पास ही पडत जमीन में खडडा खोदकर दफनाया तथा शव जल्दी गल जाये इसलिये शव पर नमक डाला तथा राई भी डाली बाद में मुलजिमान को यह शक हो गया की उनके समाज के या गॉव वाले हंजाराम की तलाश कर सकते है तो उन्होने तीन दिन बाद शव को बाहर निकालकर वहा से करीब एक किलोमीटर दूर सूनसान नाले में खडडा खोदकर शव को गाड दिया।

प्रकरण में मुलजिमों से विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है।

राही/सन्तरा/342/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।